

पत्रांक- म० भो०/को०-104/2013

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना।

वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना।

पटना, दिनांक

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के चतुर्थ त्रैमास का खाद्यान्न आवंटन के संबंध में।

प्रसंग: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक No.5-1/2013-Desk (MDM) दिनांक 26/27.08.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2013-14 के चतुर्थ त्रैमास का आवंटन दिया जा रहा है। चतुर्थ त्रैमास का आवंटन (जनवरी-2014 से मार्च-2014) निम्न प्रकार जिलावार उपआवंटित किया जा रहा है।

चतुर्थ त्रैमास (2013-14) के लिये जिलावार आवंटन							
क्रम सं०	जिला का नाम	वर्ग I-V			वर्ग VI -VIII		
		नामांकन	नामंकन का 50%	तृतीय त्रैमास का आवंटन (मात्रा MT में)	नामांकन	नामंकन का 50%	तृतीय त्रैमास का आवंटन (मात्रा MT में)
1	अररिया	396188	198094	1168.8	135089	67545	516.72
2	अरवल	103207	51604	304.46	44742	22371	171.14
3	औरंगाबाद	371346	185673	1095.5	150246	75123	574.69
4	बांका	272216	136108	803.04	115348	57674	441.21
5	बेगूसराय	408874	204437	1206.2	180708	90354	691.21
6	भागलपुर	394051	197026	1162.5	165782	82891	634.12
7	भोजपुर	309142	154571	911.97	138498	69249	529.75
8	बक्सर	239161	119581	705.52	114152	57076	436.63
9	दरभंगा	472636	236318	1394.3	185605	92803	709.94
10	गया	585103	292552	1726.1	230496	115248	881.65
11	गोपालगंज	326268	163134	962.49	149061	74531	570.16
12	जमुई	278997	139499	823.04	97087	48544	371.36
13	जहानाबाद	157917	78959	465.86	63039	31520	241.12
14	कैमूर	227539	113770	671.24	106944	53472	409.06

15	कटिहार	469607	234804	1385.3	184589	92295	706.05
16	खगड़िया	250526	125263	739.05	103221	51611	394.82
17	किशनगंज	295798	147899	872.6	90525	45263	346.26
18	लखीसराय	135059	67530	398.42	58763	29382	224.77
19	मधेपुरा	337227	168614	994.82	126866	63433	485.26
20	मधुबनी	612781	306391	1807.7	267494	133747	1023.2
21	मुंगेर	169715	84858	500.66	80164	40082	306.63
22	मुजफ्फरपुर	597090	298545	1761.4	269429	134715	1030.6
23	नालन्दा	344450	172225	1016.1	134103	67052	512.94
24	नवादा	306935	153468	905.46	107362	53681	410.66
25	प० चम्पारण	561701	280851	1657	172794	86397	660.94
26	पटना	513819	256910	1515.8	215933	107967	825.94
27	पूर्णिया	510196	255098	1505.1	162747	81374	622.51
28	पूर्वी चम्पारण	707836	353918	2088.1	259424	129712	992.3
29	रोहतास	363992	181996	1073.8	180676	90338	691.09
30	सहरसा	303560	151780	895.5	106404	53202	407
31	समस्तीपुर	581419	290710	1715.2	251457	125729	961.82
32	सारण	512257	256129	1511.2	232978	116489	891.14
33	शेखपुरा	93685	46843	276.37	37054	18527	141.73
34	शिवहर	94292	47146	278.16	30638	15319	117.19
35	सीतामढ़ी	490417	245209	1446.7	166704	83352	637.64
36	सिवान	388391	194196	1145.8	186463	93232	713.22
37	सुपौल	314259	157130	927.06	126830	63415	485.12
38	वैशाली	411762	205881	1214.7	206339	103170	789.25
		13909419	6954710	41032.79	5635754	2817877	21556.76

2. चतुर्थ त्रैमास 2013-14 में भारत सरकार से प्राप्त कुल खाद्यान्न का विवरणी :-

भारत सरकार से चतुर्थ त्रैमास 2013-14 का प्राप्त आवंटन (मात्रा MT में)		जिलों को चतुर्थ त्रैमास 2013-14 में कुल उपावंटन (मात्रा MT में)		चतुर्थ त्रैमास 2013-14 में आकस्मिकता हेतु सुरक्षित कुल खाद्यान्न (मात्रा MT में)	
वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII
41472.73	21903.27	41032.79	21556.76	439.94	346.51

3. यह आवंटन 50% औसत लाभवित के आधार पर है। यदि आपका आवंटन कम या ज्यादा हो तो आप आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित करने की कृपा करेंगे।
4. जिस त्रैमास के लिए खाद्यान्न का आवंटन होगा, उस त्रैमास के पूर्व के माह की पहली तारीख से उस त्रैमास के अंतिम माह की 25 वीं तारीख के बीच खाद्यान्न के उठाव की अनुमति भारतीय खाद्य निगम को देनी होगी। (उदाहरणार्थ, अप्रैल-जून, 2010 के त्रैमास हेतु खाद्यान्न के उठाव की वैधता 01 मार्च, 2010 से 25 जून, 2010 तक होगी) खाद्यान्न के उठाव की मात्रा में भारतीय खाद्य निगम कोई परिवर्तन नहीं करेगा। खाद्य एवं लोक वितरण विभाग के पत्रांक 4-3/2008-9-BP-II, दिनांक 09.09.2009 एवं भारतीय खाद्य निगम के पत्रांक 26.01.

2009-10/MDM-S-IX/Vol II, दिनांक 16.11.2009 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस हेतु विशद दिशा निर्देश दिया गया है।

भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार आवंटित खाद्यान्न का उठाव आवंटन अवधि से एक माह पूर्व में भी किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के स्तर पर आवश्यकतानुसार इस निदेश का अनुपालन किया जायेगा।

5. भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी के संयुक्त निरीक्षण दल, निरीक्षण के पश्चात् यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न FAQ गुणवत्ता वाला है। Consignee receipt (तीन प्रतियों में) भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उक्त अभिमत की एक प्रति उठाव करने वाले पदाधिकारी (राज्य खाद्य निगम) के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति जिला स्तर पर भुगतान करने वाले पदाधिकारी जिला (मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी) के पास रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रहेगा।
6. (i) जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि तथा राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि संयुक्त निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन योजना के लिए दिये जाने वाले खाद्यान्न के तीन नमूने लेंगे और इन्हें सील कर पहला नमूना जिला प्रशासन के पास, दूसरा नमूना भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास और तीसरा नमूना राज्य खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
(ii) इन नमूनों को तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। यदि इस अवधि में खाद्यान्न में गुणवत्ता की शिकायत आती है तो इस नमूने से उसका मिलान कर संभावित विचलन की जिम्मेवारी निर्धारित किया जा सकेगा। खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को खाद्यान्न स्थानान्तरित करने के हर स्तर पर अपनाया जायेगा, जब तक कि यह खाद्यान्न बच्चों के उपयोग हेतु स्थल पर नहीं पहुँच जाता है।
7. राज्य से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन खाद्यान्न की आवश्यकता, परिवहन की सुविधा एवं भंडारण की क्षमता के आलोक में खाद्यान्न के उठाव हेतु Schedule स्थानीय भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायेगा। राज्य खाद्य निगम तदनुसार भारतीय खाद्य निगम से मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करेगा और जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित प्रकार से विद्यालयों को आवश्यकतानुरूप खाद्यान्न निर्गत करेगा।
8. भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके गोदाम में हमेशा खाद्यान्न उपलब्ध रहे, जो किसी भी परिस्थिति में Fair Average Quality (FAQ) से कम गुणवत्ता का न हो। भारतीय खाद्य निगम एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखेगा।
9. जिला प्रशासन एवं भारतीय खाद्य निगम का डिपो यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित खाद्यान्न से अधिक खाद्यान्न का उठाव नहीं हो।
10. इसी माह में आपूर्ति किये गये खाद्यान्न के बिल भारतीय खाद्य निगम अगले माह की 10 वीं तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगा तथा जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी प्राप्त विपत्र का भुगतान जाँचोपरांत 20 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करेगा।
11. भारतीय खाद्य निगम अपने बैंक खाता संख्या तथा भुगतान प्राप्त करने के मोड की जानकारी जिला मध्याह्न भोजन प्रभारी पदाधिकारी को देंगे। जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे खाद्यान्न की राशि का भुगतान R.T.G.S./चेक से उस खाते में करेंगे।
12. भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक अथवा उनके प्रतिनिधि और सभी अन्य संबंधित पदाधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न के उठाव, खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भुगतान के संबंध में मासिक बैठक होगी तथा जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी प्रत्येक अगले माह की 7 वीं तारीख तक राज्य मुख्यालय (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) को इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
13. पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक प्रतिवेदन (खाद्यान्न का Monthly Progress Report) प्रत्येक माह की अगली 10 वीं तारीख तक निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार को उपलब्ध करा देंगे जिससे यह प्रतिवेदन राज्य स्तर पर संकलित करते हुए 15 वीं तारीख तक भारत सरकार को भेजा जा सके।
14. राज्य खाद्य निगम से योजना का खाद्यान्न निर्गत के समय प्रखण्ड साधन सेवी का वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है साथ ही खाद्यान्न का एक नमूना प्रखण्ड साधन सेवी के पास आगामी तीन माह के लिए सील कर रहेगा।

15. प्रबधक निदेशक ,बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि०, पटना के पत्रांक 3096 दिनांक 18/4/11 के आलोक में जिला प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे जिला प्रबधक से सम्पर्क कर मासिक उठाव का रोस्टर तैयार करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे की प्रति माह 15वीं तारीख से लेकर 30वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण हो जाए एवं MIS में प्राप्ति की मात्रा प्रदर्शित हो जाये।
16. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि MIS Generated Advice के अनुसार प्रति माह की 18 वीं तारीख तक खाद्यान्न का उपावंटन जारी कर देंगे। राज्य खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि जिलों में निर्धारित पूर्व प्रक्रिया के अनुसार त्रैमासिक अथवा मासिक S.I.O. निर्गत करेंगे जो माह की 23 वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्गत होगा।
17. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी प्रति माह की 30 वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी खाद्यान्न का उपावंटन प्रविष्ट कर योजना के वेबसाईट www.mdmsbihar.org पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
19. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, संवेदक/प्रखण्ड साधनसेवी के माध्यम से खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कराकर सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न वितरण के समय विद्यालय में पूर्व से भण्डारित खाद्यान्न का उपयोग किया जा रहा है।
20. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की प्रत्येक विद्यालय के पास हर हालत में अगले एक माह तक उपभोग किये जाने हेतु खाद्यान्न का स्टॉक रखना अनिवार्य है, ताकि आकस्मिक परिस्थिति में योजना बाधित नहीं हो।
21. सभी प्रासंगिक पत्रों के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि—सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2906/ पटना, दिनांक 23-12-2013

प्रतिलिपि—डाटा ऑफिसर—सह—सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे इस आवंटनादेश को MDM के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

३

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,

बिहार, पटना।